संख्या-145/2021/1221/22-2-2020-ई-17(458)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 अगस्त, 2021***

विषय:- जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मवीर पुत्र श्री खजान सिंह, निवासी जनपद-बागपत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30277/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28.11.2020, दिनांक 09.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी धर्मवीर पुत्र श्री खजान सिंह, निरोजपुर, थाना-बागपत, जनपद-बागपत का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर बंदी द्वारा दिनांक 02.09.2004 को अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-457/2004, में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0एस0टी0) एक्ट, बागपत के आदेश दिनांक 23.08.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 25.05.2017 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10.08.2018 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 23.10.2020 तक 04 वर्ष 03 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 04 माह 15 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति विशेष से सीमित न होने, समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, समयपूर्व रिहाई होने पर पुन: अपराध कर सकने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है। दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मवीर (बन्दी संख्या-81/17) पुत्र श्री खजान सिंह, निवासी जनपद-बागपत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-145 /2021/1221(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बागपत।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बागपत।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in